सतर्क राजस्थान

COVID-19
MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/ 31080 दिनांक 21 22 अप्रेल, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दिनांक 20/03/2020 से निषेधाज्ञा लागू की गयीं हैं एवं सम्पूर्ण जिला लॉक डाउन हैं।

कोरोना वॉयरस संक्रमण के दृष्टिगत भीलवाड़ा जिले की सीमाएं सील होकर विभिन्न रास्तो पर चेक पोस्ट स्थापित की गयीं हैं। विशेष परिस्थितियो में उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट/जिला प्रशासन की स्वीकृति उपरान्त ही चेक पोस्ट से आवागमन की अनुमति दी गयीं हैं।

यह संज्ञान में आया हैं कि जिले में स्थापित चेक पोस्ट पर बिना अनुमति के आवागमन हो रहा हैं। इस प्रकार का आवागमन विशेषकर अर्द्धरात्रि में हो रहा हैं।

अतः जिले की सीमाओ पर स्थापित समस्त चेक पोस्टो के प्रतिदिन औचक निरीक्षण हेतु निम्नानुसार फ्लाईंग स्क्वाड की दो टीम का गठन किया जाता हैं –

मुख्य दल

क0सं0	TEAM - A नाम अधिकारी एवं कार्यालय	TEAM - B नाम अधिकारी एवं कार्यालय
1.	श्री ओ0पी0 काबरा, अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	श्री आसिफ अंसारी, अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा
2.	श्री एन0पी0सिंह, अधीक्षण खनि वैज्ञानिक, भीलवाड़ा	श्री नवीन अजमेरा, सहायक खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा
3.	जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा नामित पुलिस अधिकारी	जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा नामित पुलिस अधिकारी

आरक्षित दल

क0सं0	नाम अधिकारी एवं कार्यालय	नाम अधिकारी एवं कार्यालय
1.	श्री मुकेश कुमार दीक्षित, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, वृत–सी भीलवाड़ा मोबाईल 98870 64741	श्री मुकेश दुधववाल सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन भीलवाड़ा मोबाईल 81041 97562
2.	श्री दिनेश कुमार शर्मा, सहायक प्रोफेसर, **MLVT** भीलवाड़ा मोबाईल 92148 02715	श्री राजीव अग्रवाल, सहायक प्रोफेसर, **MLVT** भीलवाड़ा मोबाईल 98299 62536

उक्तानुसार गठित फ्लाईंग स्क्वाड समन्वय करते हुए मुख्यतः रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे के मध्य जिले की सीमाओ पर स्थापित समस्त चेक पोस्ट एवं संधारित मूमेन्ट रजिस्टर का निरीक्षण करेगा। किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियो के सक्षम अनुमति के बिना चेक पोस्ट से आवागमन पाये जाने पर चेक पोस्ट पर नियुक्त अधिकारियो/कर्मचारियो के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संबधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट एवं जिला कार्यालय को तत्काल सूचित करेगें। दैनिक रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में जिला कार्यालय के सर्वे प्रकोष्ठ को मेल आई0डी0 **pscbhil@gmail.com** पर प्रेषित करेगे।

चेक पोस्ट से अवैध रूप से आवागमन के लिए उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट पूर्ण रूप से उत्तरदायीं होगें।

संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति एवं चेक पोस्ट पर नियुक्त अधिकारियो/कर्मचारियो के विरूद्ध **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957"** एवं **"The National Disaster Management Act, 2005"** में प्रदत्त शक्तियो के तहत नियमान्तर्गत कार्यवाही किए जाने के प्रस्ताव जिला कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

संलग्न : – प्रपत्र1

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. महानिरीक्षक, पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, जिला कार्यालय
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
11. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
12. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
13. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
14. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
16. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
17. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
18. प्राचार्य, MLVT भीलवाड़ा
19. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा
20. उपायुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा
21. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा
22. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
23. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
24. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
25. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा
26. संबंधित अधिकारी श्री .... को पालनार्थ।
27. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
28. प्रभारी, कोरोना सर्व प्रकोष्ठ, जिला कार्यालय को भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि फ्लाईंग स्क्वाड से प्रतिदिन की सूचना प्राप्त करा, संकलित सूचना प्रस्तुत की जावे।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

s@nv@n 75 97979 3939

कोविड़–19, नोवल कोरोना वायरस संक्रमण – फ्लाईंग स्क्वाड टीम – A / B

जिले में स्थापित चेक पोस्टो के औचक निरीक्षण का प्रतिवेदन

दिनांक ....अप्रेल, 2020

क्र0सं0	चेक पोस्ट का नाम	उपखण्ड़ का नाम, जहां चेक पोस्ट स्थापित हैं	चेक पोस्ट निरीक्षण का समय	चेक पोस्ट पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में टिप्पणी	मूमेन्ट रजिस्टर के संबंध में टिप्पणी	चेक पोस्ट से बिना अनुमति आवागमित व्यक्तियो की संख्या	बिना अनुमति आवागमित व्यक्तियो के संबंध में उत्तरदायीं का अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पद एवं कार्यालय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अन्य टिप्पणी –